भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1774

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

छोटे और मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए परियोजनाएं

1774. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के छोटे और मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है और यदि हां, तो इसका नगर और शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्वीकृत परियोजनाओं के लिए नगर और शहर-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत शहरी विकास परियोजनाओं के अनुसार धनराशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों को स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (**ड.**): संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के साथ, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का एक घटक, छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना

(यूआईडीएसएसएमटी) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई। हालांकि, यूआईडीएसएसएमटी की वे सभी परियोजनाएं, जिनमें 50% या अधिक केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी तथा 31 मार्च, 2014 तक वास्तविक प्रगति 50% या अधिक थी या मिशन के ट्रांजिशन चरण के दौरान स्वीकृत की गई थीं, उन्हें 31 मार्च, 2017 तक अमृत के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किया गया था। यह अवधि भी समाप्त हो गई है और योजना के समापन पर सभी परियोजनाएं संबंधित राज्यों को सौंप दी गई हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय अपने अन्य मिशनों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संस्वीकृत की जाती है, शहरों के लिए नहीं। मिशन/योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

एससीएम के तहत, 100 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें से 66 शहरों की आबादी 10 लाख से कम है। इसमें 12 शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, 33 शहर जिनकी आबादी 1-5 लाख के बीच है और 21 शहर जिनकी आबादी 5-10 लाख के बीच है, शामिल हैं (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)। इन 66 शहरों को केंद्रीय सहायता के रूप में 29,693 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इन शहरों ने 91,143 करोड़ रुपये की कुल 5,162 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में से, 76,735 करोड़ रुपये की 4,548 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 84%) पूरी हो चुकी हैं।

अमृत 2.0 और एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण क्रमशः अनुलग्नक I और II में दिया गया है।

******

अनुलग्नक - I

'छोटे एवं मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लिए परियोजनाएं' के संबंध में 1 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1774 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित एवं जारी की गई कुल निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता	जारी की गई कुल निधि (कुल)
1	अण्डमान और निकोबार	36	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	2948	674.59
3	अरुणाचल प्रदेश	226	34.48
4	असम	775	75.62
5	बिहार	2628	429.53
6	चंडीगढ़	170	53.87
7	छत्तीसगढ़	1303	166.49
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	30	शून्य
9	दिल्ली	2885	212.31
10	गोवा	85	17.26
11	गुजरात	4512	936.12
12	हरियाणा	1496	153.35
13	हिमाचल प्रदेश	256	60.1
14	जम्मू और कश्मीर	867	166.9
15	झारखंड	1183	114.54
16	कर्नाटक	4628	718.57
17	केरल	1374	177.29

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता	जारी की गई कुल निधि (कुल)
18	लद्दाख	128	11.7
19	लक्षद्वीप	2	शून्य
20	मध्य प्रदेश	4065	379.91
21	महाराष्ट्र	9310	2,056.80
22	मणिपुर	170	20.72
23	मेघालय	111	67.48
24	मिजोरम	143	31.39
25	नागालैंड	176	40.28
26	ओडिशा	1373	367.69
27	पुदुचेरी	150	31
28	पंजाब	1836	354.9
29	राजस्थान	3552	349.7
30	सिक्किम	40	4.98
31	तमिलनाडु	4942	966.23
32	तेलंगाना	2789	170.37
33	त्रिपुरा	157	69.51
34	उत्तर प्रदेश	8161	1,420.27
35	उत्तराखंड	585	53.14
36	पश्चिम बंगाल	3658	564.37
कुल		66,750.00	10,951.47

अनुलग्नक - II

'छोटे और मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लिए परियोजनाएं' के संबंध में 1 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1774 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित और जारी निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)	
	आवंटित निधि	जारी की गई निधियां
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.60	1.95
आंध्र प्रदेश	1413.30	298.68
अरुणाचल प्रदेश	129.00	28.73
असम	503.50	82.02
बिहार	1204.80	209.47
चंडीगढ़	45.20	23.75
छत्तीसगढ़	727.30	209.67
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	31.20	0.18
दिल्ली	1192.60	415.05
गोवा	77.80	7.72
गुजरात	1918.90	248.21
हरियाणा	645.70	13.46
हिमाचल प्रदेश	156.70	33.09
जम्मू और कश्मीर	429.90	97.46
झारखंड	519.00	52.42
कर्नाटक	2245.30	326.68

केरल	875.10	55.33
लद्दाख	62.70	2.66
मध्य प्रदेश	2200.20	119.60
महाराष्ट्र	3758.50	791.81
मणिपुर	96.20	14.79
मेघालय	67.30	16.79
मिजोरम	82.50	14.84
नागालैंड	158.88	40.17
ओडिशा	821.40	285.17
पुदुचेरी	83.21	22.74
पंजाब	1054.20	216.49
राजस्थान	1765.80	252.08
सिक्किम	19.40	4.03
तमिलनाडु	3296.70	656.15
तेलंगाना	1067.30	393.78
त्रिपुरा	85.30	15.34
उत्तर प्रदेश	4073.80	350.38
उत्तराखंड	343.40	32.68
पश्चिम बंगाल	1449.30	217.65

******